न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार

आई०ए०एस०

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

निगरानी सं0 41/2008

सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

.... निगरानीकार

बनाम

फैलीराम पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा

...गैरनिरानीकार

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

निगरानी याचिका विरूद्ध आदेश पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत नांगल राजावतान दिनांक 8.6.1991 मिसल सं0 8 दिनांक 18.5.1991 के द्वारा गैर निगरानीकार के नाम जारी पट्टे को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 27.2.2025

1. संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, नांगल राजावतान द्वारा गैर निगरानीकार के पक्ष में पट्टा दिनांक 8.6.1991 को जारी कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर तहसीलदार दौसा ने यह निगरानी पेश की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नांगल राजावतान का मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि आम नागरिक ग्राम नांगल राजावतान जरिये के.के.सोनी वगै0 ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय दौसा को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्षो पुराने नाले पर से अतिक्रमण हटवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय ने जांच हेतु तहसीलदार दौसा को निर्देश दिये गये। तहसीलदार दौसा के द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक नांगल राजावतान के द्वारा जांच करवाई गई जिसके अनुसार जांच करने पर अतिक्रमण नाले पर नहीं होकर गै.मु.आबादी में है। आबादी जो चरागाह में खाते 185 में दर्ज थी। ग्रामीणों के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि इस अतिक्रमण से पानी भरकर जान माल का नुकसान हो सकता है। पानी की निकासी के लिए आम रास्ता है। इस भूमि पर जो आबादी भूमि है फैलीराम पुत्र मूलचंद मीना, रामधन, महादेव पि. लोहडया मीना व कजोड पुत्र धोकडया मीना निवासी नांगल राजावतान द्वारा दुकानें बनाई जा रही है। विवादित भूमि गैर मुमकिन आबादी के अंदर है तथा ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा आबादी के पट्टे जारी किये गये है। चूंकि उक्त भूमि में होकर नाले का पानी जाता रहा है। निर्माण से भविष्य में पानी के बहाव में अवरोध पैदा होगा। चूंकि इस विवादित भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा आबादी भूमि होने के कारण जारी किये गये है। अतः निगरानी प्रस्तुत की जाकर निवेदन है कि ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा जारी पट्टा मिसल संख्या 08 दायर दिनांक 8.5.1991 जो कि अप्रार्थी फैलीराम पुत्र मूलचंद मीना के पक्ष में दिनांक 8.6.1991 को जारी किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।
4. अप्रार्थी के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

5. हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक नांगल राजावतान की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार " मौका जांच की गई जिसके अनुसार अतिक्रमण नाले पर नहीं होकर खसरा नंबर 795 गै.मु.आबादी में है। आबादी जो चरागाह के खाते 195 पर दर्ज है। ग्राम वासियान द्वारा जो प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि इस अतिक्रमण से पानी आदि भर कर जान माल का नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं है। इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है। पानी की निकासी के लिए आम रास्ता है। इस भूमि पर जो आबादी की भूमि है, फैलीराम पुत्र मूलचंद मीना, रामधन, महादेव पि. लोहडया मीना व कजोड पुत्र धोकडया मीना निवासी नांगल राजावतान द्वारा दुकानें बनाई जा रही है जो नींव भर कर कुर्सी से उपर आ गई है तथा रामधन पुत्र लोहडया मीना ने आगे के टीन रोपकर पीछे कुर्सी से उपर कार्य में चार मिस्त्री व बेलदार काम कर रहे है। जिसकी उंचाइ लगभग 3–4 फीट है। महादेव पुत्र लोहडया व कजोड पुत्र धाकडया ने एक तरफ दूसरे नले की तरफ का 3–4 फीट लंबा डन्डा बनाकर बाकी नींव अधूरी खुदी हुई है जो कार्य बन्द है। एवं फैली पुत्र मूलचन्द मीना का नले से नीचे की तरफ कुर्सी से उपर कार्य जारी है जिसमें मिस्त्री बेलदार कार्यरत है। इससे पानी रूकने की समस्या भविष्य में बन सकती है। जिस भूमि पर जो आबादी में है, के पट्टे 1991 के जारी किये गये है पर कार्य चल रहा है। यह मामला ग्राम पंचायत से संबंधित है। इस मामले में नायब तहसीलदार दौसा भी मौके पर कार्य बंद करवा कर आये थे। " पत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत नांगल राजावतान की मूल पत्रावली का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी फैलीराम पुत्र मूलचन्द मीना निवासी नांगल राजावतान द्वारा ग्राम पंचायत नांगल राजावतान के सरपंच को दिनांक 18.5.1991 को पट्टा देने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिस पर वार्ड पंचों के द्वारा दिनांक 19.5.1991 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रार्थी फैलीराम को पट्टा दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। तत्पश्चात भूमि को पट्टा दिये जाने से पूर्व दिनांक 20.5.1991 को आपत्ति मांगी गई थी। नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत नांगल राजावतान के द्वारा दिनांक 8.6.1991 को पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा पट्टा जारी किये जाने से पूर्व समस्त विधिक प्रकिया का पालन करते हुए पट्टा जारी किया गया है। हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/निगरानी खारिज किये जाने योग्य समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/निगरानी खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा जारी पट्टा दिनांक 8.6.1991 को जो अप्रार्थी फैलीराम पुत्र मूलचन्द मीना के पक्ष में जारी किया गया है को यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर सं कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक: 27 फरवरी 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया । इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा